

№ 005108

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या १२७

वर्ष २००९-२०१०

में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि



विद्या विकास सोसाइटी कासबा

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख ०९ मई २०१० को हजार ०० को राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

प्रचार -
निर्दिष्ट दि. में निर्दिष्ट संस्था का नाम - विद्या वि
विभाजित विहार का निर्देश संख्या - 182/994-01

गोपबन्धु शर्मा, राँची।
सचिव
केलाश राय सरस्वती विद्या मन्दिर
महामा गोकुलपुर, कुमरी विभाग
कासबा



PRINCIPAL
Kalesh Rai Saraswati Vidya Mandir
Jhumi Talaja, Kodera Mahanagar
School No.-66393

